DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: All these matters are under review.

SHRI C. N. VISWANATHAN: The hon. Minister has stated in his reply that the head of the institution concerned may give the necessary permission, under information to the Central Government. But why is this policy which was followed during the emergency, continuing and how long will it take for him to review it? Will he give an assurance that the policy will be changed?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The policy is being reviewed.

SHRI T. A. PAI: It has been said that the previous Government encouraged card-holders to go abroad and there were special considerations permitting some people to go and preventing some others from going. I do hope that the same kind of approach will not continue because I do not think it is a sin to hold a card of any party so long as that party has been recognised as a political party in this country. Apart from that, granting that from 1972 this freedom has not been extended, is that the reason why in 1977, when the figures are given out by the hon. Minister, the same kind of story is being repeated, maybe with a different type of political prejudice? I entirely agree with my hon. friend Dr. Subramaniam Swamy that this consideration should be based on human rights. I hope the hon. Minister will have no difficulty in giving a categorical assurance to the House.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Out of 423 cases, 376 have been permitted; only 19 are under consideration, and 28 have been refused. Each one has been judged on its own merits and on the special circumstances of the case. There is nothing as the hon. Member is suggesting. As you know, human rights is a rather relative term, and our Constitution has recognised only a limited type of freedom.

चौधरी बलबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 1975–76 और 1976–77 में सिर्फ उन लोगों को ही बाहर जाने की इजाजत दी गई जो लोग श्री संजय गांधी और इन्दिरा गांधी के प्रोग्राम का ही बाहर जाकर प्रचार करते थे, और जो लोग इसके खिलाफ थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया ?

डा० प्रताप चन्द्र : मुझे यह पता नहीं

लद्दाख में प्राचीन मठ

*468. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लद्दाख क्षेत्र (काश्मीर) में प्राचीन मठों में मूल्यवान हस्तलिखित धार्मिक ग्रन्थ रखे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनका अधिग्रहण करने अथवा उन की फोटो प्रतिलिपियां प्राप्त करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां बहुत से विहारों के पास पांडुलिपियों के अपने निजी पुस्तकालय हैं ।

(ख) और (ग), उन्हें अधिग्रहण करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु राज्य सरकार के द्वारा निदर्शन या रंगीन चित्र वाली पाण्डुलिपियों को पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने तथा अन्य पांडुलिपियों के संबंध में वस्तुसूची तैयार करवाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय किस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा करता है इस का एक साफ प्रमाण आप के सामने यह है। मैंने अपने प्रश्न के (ख) भाग में यह पूछा था कि क्या सरकार का विचार उन का अधिग्रहण करने अथवा उन की फोटोप्रतिलिपियां प्राप्त करने का है आप ने अधिग्रहण करने का जवाब दे दिया, फोटो प्रतिलिपियां प्राप्त करने का विचार है या नहीं, इसका जवाब गोल कर गए। तो पहले तो इसका जवाब दे दीजिए इसके बाद सप्लीमेंट्री करूंगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं ने कहा कि फोटो खींचने की बात तो दूसरी बात है पहले उस निदर्शन को पंजीकृत किया जाये। जब तक वह पंजीकृत न हों हम नहीं समझेंगे कि उनकी फोटो खींचने की कोई जरूरत है या नहीं।

First it will have to be registered. Then, we will consider whether there is any necessity for taking photographs or not. So, we have said that this is being registered and that is being done with the help of the State Government of Jammu and Kashmir.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंट्री यह है कि सरकार की लापरवाही से इस देश में बहुत से मूल्यवान ग्रन्थ भ्रष्ट हो गए और ये भी नष्ट हो जाएंगे जिस तरीके से सरकार ने नीति अपनायी है। मेरा विरोध वस्तुतः यह है कि जब मैंने प्रश्न कर दिया तब यह जवाब इस रूप में आया है। अब तक सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं लिखा गया और सूची तैयार करने की बात अब सोची गई है। 30 साल से यह चीज चल रही है इसी तरह से। यह प्राचीन बौद्ध मठ है जहां हस्तलिखित ग्रन्थ मौजूद हैं.. (व्यवधान).....

मेरा प्रश्न है—(ए) आप ने राज्य सरकार को लिखा इसकी सूची तैयार करने के लिए, और (बी) क्या आपको जानकारी है, मैं तो स्वयं देख कर आया हूं वहां बहुत से प्राचीन ग्रन्थ पड़े हुए हैं जिन्हें हजार साल हो गए, जिन के पन्ने खत्म हो रहे हैं और जो छूने से ही समाप्त हो रहे हैं इस तरह वे ग्रन्थ समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन के समाप्त होने से पहले पहले आप उनकी फोटो स्ट्रेट कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या नहीं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने खुद शेख अब्दुल्ला साहब से बात की है और उन के जो मंत्री हैं डी० डी० ठाकुर साहब वह मेरे पास आए थे। जो ग्रन्थ हैं उन की रक्षा के लिए बात चल रही है। दिक्कत यही है कि ये सब जो ग्रन्थ हैं उनकी माल्कियत जो मठाधीश हैं उसके पास हैं। हम उन की रक्षा करने के लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहले यह करना होगा कि उन्हें रजिस्टर करना होगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रही है। मैंने खुद शेख अब्दुल्ला से बात की है, उन के मंत्री भी आए थे और जो उन के आफिसर्स हैं वे हमारे आर्केलाजिकल सर्वे के आफिसर्स से बातें कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री अभी नहीं हुआ। .....(व्यवधान).....

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन को इस बात का ज्ञान है कि अरुणाचल, सिक्किम और भूटान आदि क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से प्राचीन बौद्ध मठों में बहुत मूल्यवान प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ पड़े हुए हैं ? क्या उन को प्राप्त करने या उनकी फोटो प्रतिलिपि कराने या सूची तैयार करने की दिशा में आप ने कोई पग अभी तक उठाया है या नहीं ? अगर हां, तो क्या ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं विनम्रता से कहता हूं कि यह सवाल इस सवाल से नहीं उठता है ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: The hon. Minister has stated that the manuscripts and antiquities have not been registered by the State Government of Jammu & Kashmir. A large number of tourists visit Ladakh every year. What steps have Government of India taken so far to see that manuscripts and antiquities are not smuggled outside our country?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: So far as these manuscripts are concerned, the registering officer of Jammu & Kashmir and the Directorate of Libraries, Research and Museum, Jammu & Kashmir, have already conducted a preliminary survey and the details are being worked out. The number of antiquities, according to their estimate, is about 20,000—a very large number. We understand that some are going out, but at the Customs level, along with the officers of the Archaeological Survey, watch is being kept and many of these antiquities which were being sent outside our country have been detected. Only recently I opened an exhibition of such confiscated antiquities in Calcutta.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: These articals are not registered. I want to know what steps Government propose to take or have already taken to see that unregistered antiquities are not smuggled outside our country.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I have explained that the customs officers, along with the officers of the Archaeological Survey are taking steps in this matter....

MR. SPEAKER: He is asking about 'unregistered'. It is not an offence to take an unregistered article. What are you going to do there?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: The Act has been passed by this Parliament and pursuant to this Act, we are taking steps. Our country contains a large number of antiquities. So, it is not possible, within a short period, to bring all these under registration. It will take some time.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि पंजीकृत कराने के लिए मठ के लोगों के द्वारा तथा अन्य लो ों के द्वारा अनेकों बार राज्य सरकार से कहा गया है लेकिन राज्य सरकार जान-बूझ कर इन ग्रथों को पंजीकृत नहीं करना चाहती और उसका प्रयास है कि ग्रंथ समाप्त हो जायें—क्या इस प्रकार की जानकारी आपको है ? और आपने जैसा कहा कि हमने उनको बोला है तो मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के द्वारा कब से किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है तथा क्या आप यहां पर आश्वासन देंगे कि कब तक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैंने कहा कि वहां के मुख्य मंत्री जो हैं उनसे बात हो रही है और जो वहां के वित्त मंत्री व शिक्षा मंत्री हैं उनसे बातचीत हो रही है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । रजिस्ट्रेशन कब तक हो जायेगा ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हो जायेगा ।

SHRI A. BALA PAJANOR: The Minister has replied that a lot of ancient documents and antiquities are smuggled out from Kashmir. These things are being smuggled out not only from Kashmir but from all over the country. Has the Government got any proposal to have an Act by which smuggling of these antiquities—many sculptures and even statues are being smuggled out of our country from

various temples in South India—can be prohibited? For thirty long years we have allowed this country to be smuggled out of its ancient things. I would like to know from the hon. Minister categorically whether he has got any proposal to bring immediately a Bill by which smuggling of these things outside our country can be prohibited. Jammu & Kashmir has a special status. I do not know whether it is possible for him to bring a Bill which will cover the whole country.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is already the Antiquities and Art Treasures Act, 1972. We are going through the provisions of this Act and if it is found that the provisions are not sufficient to protect our antiquities, then the question that the hon. Member has raised will be considered.

SHRI BIJOY SINGH NAHAR: I would like to know from the hon. Minister whether the Government has notified that all the manuscripts should be registered or only the manuscripts with paintings and illustrations are going to be registered. If the manuscripts without paintings and illustrations are not to be registered, will he consider that now?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I have already stated in reply to the substantive question that the manuscripts as contain illustrations and paintings would be registered and protected, not beyond that. Already, there are 20,000 such manuscripts. We have to see whether they are all included or not.

मध्य प्रदेश के बेतूल में फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण कालेज

*470. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में एक फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण कालेज खोलने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस कालेज के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A proposal to open a Forest Rangers Training College at Betul was received in 1975.

(b) The proposal was not accepted.

श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश केवल वनों के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है वरन् वहां वनों के विकास के लिये भी अनेकों योजनायें चल रही हैं जिन में लाखों कर्मचारी और और सैकड़ों बड़े अधिकारी कार्य कर रहे हैं । उन के प्रशिक्षण के लिये आवश्यक है कि वहां फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज की स्थापना की जाये । इस के लिये मंत्री महोदय ने बतलाया कि 1975 में बेतूल में ऐसे कालिज की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ था । किस कारण से उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था मुझे मालूम नहीं है ।

क्या मंत्री महोदय दोबारा उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और बेतूल में फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज खोलने के उस प्रस्ताव को पारित करायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1975 के बाद ऐसा महसूस किया गया कि एक और फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज होना चाहिये । इस के लिये अलग-अलग प्रान्तों से बात की गई तो मध्य प्रदेश ने बालाघाट में ऐसा कालिज खोले जाने की सिफारिश की । बालाघाट के केस पर फेवरेब्ली विचार किया जा रहा है उम्मीद है शायद बालाघाट में ऐसा कालिज बन जाये ।